हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2023

संख्या : वि0स0–विधायन–विधेयक/1–37/2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 9) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/–
यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

––––––––

2023 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 21 का संशोधन।

––––––

2023 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 21 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 21 में ''कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 को भूगर्भ जल के विकास और प्रबन्धन और उससे सम्बद्ध विषयों को विनियमित और नियन्त्रित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह पाया गया कि भूगर्भ जल की अनियन्त्रित और भरपूर निकासी से भूगर्भ जल स्तर के कमतर होने तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल जलाशयों के रिक्तिकरण से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिस्थिति से निपटने के लिए मूल अधिनियम को हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 21 अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबन्धित करती है कि जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी आदेशों या निर्देशों की अनुपालना करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस लाख तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। अतः अब यह उचित समझा गया कि कारावास के स्थान पर दस लाख रुपए के जुर्माने का उपबन्ध किया जाए। इसलिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उददे्श्यों की पूर्ति के लिए है।

(मुकेश अग्निहोत्री)
उप–मुख्यमन्त्री।

शिमलाः

तारीख....., 2023

––––––––

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

––––––––

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

––––––––

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2021

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(मुकेश अग्निहोत्री)
उप–मुख्यमन्त्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीख....., 2023

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराः

21. **अपराध और शास्तियां.**––जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों अथवा निर्देशों के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिवस, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है के लिए, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 21.

———————

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and Commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005, for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both", the words "a fine which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 was enacted to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith. It has been observed that uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of groundwater reservoirs in several areas of the State. In order to deal with the situation, the principal Act was amended by the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022. In section 21, it was, *inter-alia*, provided that whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term, which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both. Now, it has been considered prudent that in place of imprisonment, the provisions be made for a fine of rupees ten lakh. This has necessitated an amendment in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MUKESH AGNIHOTRI)
Deputy Chief Minister.

SHIMLA :

The……., 2023

———————

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

(MUKESH AGNIHOTRI)
Deputy Chief Minister.

———————

(**SHARAD KUMAR LAGWAL)**
Secretary (Law).

SHIMLA :
The ....., 2023

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2005 (ACT NO. 31 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL:

Section:

21. Offences and penalties.—Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention.